



2026 : AHC: 39262

06.01.2026 को सुरक्षित

20.02.2026 को पारित

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 50246 सन् 2025

बृजेश कुमार

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता: बिनोद कुमार यादव, राज नाथ भक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं.- 36

माननीय न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राज नाथ भक्त, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. पांडेय के साथ श्री शुभेंद्र सिंह को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 22, आजमगढ़ द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 3817 सन् 2024 (आनंद कुमार बनाम बृजेश कुमार), अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे एन.आई. अधिनियम कहा गया है), थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.10.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है। आगे यह प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय वर्तमान आवेदन के लंबित रहने के दौरान, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 22, आजमगढ़ के न्यायालय में लंबित प्रकीर्ण वाद संख्या 3817 सन् 2024 (आनंद कुमार बनाम बृजेश कुमार), अंतर्गत धारा 138 एन.आई. अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे, अन्यथा आवेदक को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत करना है कि आवेदन दिनांक 08.09.2025 को आक्षेपित आदेश दिनांक 16.10.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि आक्षेपित आदेश अवैध है क्योंकि बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था; इसलिए, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है।

4. आक्षेपित आदेश दिनांक 16.10.2025 द्वारा, विचारण न्यायालय ने आवेदक-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें आदेश दिनांक 18.08.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी, जिसके द्वारा मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने, अर्थात् विशेषज्ञ द्वारा हस्तलेख और हस्ताक्षर के सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आगे का अवसर समाप्त कर दिया गया था। आदेश दिनांक 16.10.2025 का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि दिनांक 18.04.2023 को न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हस्ताक्षर का नमूना लिया गया था परन्तु अभियुक्त द्वारा पैरवी के अभाव में हस्तलेख विशेषज्ञ का परिणाम प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से हस्तलेख विशेषज्ञ को पुनः अनुस्मारक जारी करने हेतु पैरवी का आदेश किया गया था, परन्तु अभियुक्त की ओर से कोई पैरवी उपरोक्त आदेश पर नहीं की गयी। न्यायालय द्वारा पुनः पैरवी हेतु दिनांक 21.07.2025 को अन्तिम अवसर के साथ अभियुक्त को निर्देशित किया गया था परन्तु अभियुक्त द्वारा उपरोक्त आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2025 को अदम पैरवी साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के आदेश दिनांक 18.08.2025 को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि आधारहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत-प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते परिवादी बहस दिनांक 04.11.2025 को पेश हो।"

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाहियां संक्षिप्त कार्यवाहियां हैं। इसलिए, कार्यवाही को छह महीने के भीतर शीघ्रता से संपन्न किया जाना चाहिए और उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा जताया है, अर्थात्: दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालल एच., (2010) 5 एससीसी 663, इंडियन बैंक एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2014) 5 एससीसी 590, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कंचन मेहता, (2018) 1 एससीसी 560, मकवाना मंगलदास तुलसीदास बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2020) 4 एससीसी 695 और इन रे:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक्सपेडिटियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 एन.आई. एक्ट (स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या 2 सन् 2020)

6. दलीलों पर विचार करने पर, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत परिवाद वर्ष 2013 में दायर किया गया था, और तब से उक्त परिवाद लंबित है। 12 वर्ष से अधिक का समय पहले ही बीत चुका है, जो इस मामले को एक संक्षिप्त विचारण के न्यायनिर्णयन में अत्यधिक विलंब का एक ज्वलंत उदाहरण बनाता है। इस प्रकार का लंबा लंबित रहना संक्षिप्त विचारण मामलों में न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।

7. पुरानी संहिता, अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब निरसित) में, संक्षिप्त विचारणों को अध्याय XXI में धारा 260 से 265 तक पेश किया गया था, और संक्षिप्त विचारण नई संहिता, अर्थात् बी.एन.एस.एस., 2023 में अध्याय XXII में धारा 283 से 288 तक प्रदान किए गए हैं।

8. जहाँ तक एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत मामलों के शीघ्र निस्तारण का संबंध है, विधायिका ने अपने विवेक से वर्ष 2002 में संशोधन के माध्यम से संक्षिप्त विचारण का प्रावधान पेश किया। 2002 के अधिनियम 55 द्वारा धारा 143 अंतःस्थापित (inserted) की गई थी, और उसी संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 144 और 145 भी अंतःस्थापित की गई थीं। एन.आई. अधिनियम की धारा 143 से 145 नीचे उद्धृत हैं:-

- "[143. मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की न्यायालय की शक्ति- (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 (जिसमें दोनों शामिल हैं) के उपबंध, यावत्शक्य ऐसे विचारणों को लागू होंगे:
- परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश और पांच हजार रुपये से अधिक के जुर्माने की रकम का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा:
- परंतु यह और कि जब इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ में या उसके दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश पारित किया जाना पड़ सकता है या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण करना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस आशय का एक आदेश लेखबद्ध करेगा और तत्पश्चात् किसी ऐसे साक्षी को जिसे परीक्षित किया जा चुका हो वापस बुलाएगा और उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति से मामले को सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (2) इस धारा के अधीन मामले का विचारण, न्याय के हितों से सुसंगत रूप में, जहां तक साध्य हो, उसके निष्कर्ष तक दिन-प्रतिदिन जारी रहेगा, जब तक कि न्यायालय कारणों को, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अभिलिखित करते हुए विचारण को अगले दिन के परे स्थगित करना आवश्यक न समझे।
- (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा और परिवाद फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
- [143क. अंतरिम प्रतिकर का निदेश देने की शक्ति- (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को परिवादी को अंतरिम प्रतिकर संदत्त करने का आदेश दे सकेगा-
 - (क) किसी संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां वह परिवाद में लगाए गए अभियोग के लिए दोषी नहीं होने का अभिवचन करता है; और
 - (ख) किसी अन्य मामले में, आरोप विरचित किए जाने पर।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (3) अंतरिम प्रतिकर का संदाय उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर न्यायालय द्वारा निदिष्ट ऐसी और अवधि के भीतर, जो तीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।
- (4) यदि चेक का लेखीवाल दोषमुक्त कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को अंतरिम प्रतिकर की रकम, संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विद्यमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर न्यायालय द्वारा निदिष्ट ऐसी और अवधि के भीतर, जो तीस दिन से अधिक न हो, लेखीवाल को वापस करने का निदेश देगा।
- (5) इस धारा के अधीन संदेय अंतरिम प्रतिकर ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना हो।
- (6) धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम, इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम तक कम कर दी जाएगी।]
- [144. समन की तामील का ढंग- (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी अभियुक्त या साक्षी को समन जारी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकेगा कि समन की एक प्रति उस स्थान पर, जहां ऐसा अभियुक्त या साक्षी मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कूरियर सेवाओं द्वारा जो सेशन न्यायालय द्वारा अनुमोदित हों, तामील की जाए।

- (2) जहां अभियुक्त या साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित तात्पर्यित कोई अभिस्वीकृति या डाक विभाग या कूरियर सेवाओं द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन प्राप्त होता है कि अभियुक्त या साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषणा कर सकेगा कि समन की सम्यक् रूप से तामील हो गई है।]

- शपथ पत्र पर साक्ष्य- (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा और वह सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, उक्त संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा।

- (2) न्यायालय यदि ठीक समझे तो, और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर, शपथ पत्र पर साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।

9. न्याय के हित से सुसंगत रूप में जहां तक लागू हो, विचारण संचालित करने के लिए धारा 143 के अंतर्गत विधान के आशय के अनुसार, इसे दिन-प्रतिदिन इसके निष्कर्ष तक जारी रखा जाना है। जब तक कि न्यायालय विचारण को अगले दिन के परे स्थगित करना उन कारणों से आवश्यक न समझे जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, और धारा 143 में, विधान का आशय विचारण को यथासंभव शीघ्रता से समाप्त करना है, और परिवाद दाखिल करने की तारीख से छह महीने के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधानों का आशय नकद के बजाय चेक का उपयोग करके लेन-देन को सुगम बनाना और पक्षकारों के वाणिज्यिक अधिकारों की रक्षा करना तथा लंबी मुकदमेबाजी से समय बचाना भी है, क्योंकि पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी व्यापारिक लेन-देन और विकास में सबसे खराब स्थिति है और मानसिक शांति का नुकसान है। इन प्रावधानों का उद्देश्य उचित समय के भीतर न्याय सुनिश्चित करना और दोनों पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करना है, और ये त्वरित विचारण, अर्थात् वादी के एक मौलिक अधिकार की अवधारणा के अनुरूप हैं।

10. धारा 145 के अंतर्गत, अर्थात् शपथ पत्र पर साक्ष्य, वादकारियों और न्यायालय के बहुमूल्य समय को बचाने के लिए भी है; इसलिए, विचारण न्यायालय उपर्युक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. एन.आई. अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। एन.आई. अधिनियम में संक्षिप्त विचारण त्वरित निस्तारण के लिए है। विधान का आशय मामलों का दिन-प्रतिदिन के आधार पर उनके निष्कर्ष तक विचारण करना है, यथासंभव शीघ्रता से, छह महीने के भीतर, और इसका उद्देश्य चेक द्वारा सुगम लेन-देन को सुविधाजनक बनाना है।

12. सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या 02 सन् 2020 शीर्षक 'इन रे: एक्सपेडिटियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एन.आई. एक्ट, [(2021) 16 एससीसी 116]' के मामले में, एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवादों के विचारण के संचालन के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा की। उक्त निर्णय का पैरा 24 नीचे उद्धृत किया गया है:-

- "24. उपर्युक्त चर्चा का परिणाम हमें निम्नलिखित निष्कर्षों की ओर ले जाता है:
- 24.1. उच्च न्यायालयों से अनुरोध है कि वे मजिस्ट्रेटों को व्यवहार दिशा-निर्देश जारी करें कि वे अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवादों के विचारण को संक्षिप्त विचारण से समन विचारण में परिवर्तित करने से पूर्व कारण अभिलिखित करें।
- 24.2. अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधारों पर पहुँचने हेतु अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद प्राप्त होने पर जांच की जाएगी, जब ऐसा अभियुक्त न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर निवास करता हो।
- 24.3. संहिता की धारा 202 के अंतर्गत जांच के संचालन के लिए, परिवादी की ओर से गवाहों के साक्ष्य शपथ पत्र पर लिए जाने की अनुमति दी जाएगी। उपर्युक्त मामलों में, मजिस्ट्रेट गवाहों के परीक्षण पर जोर दिए बिना जांच को दस्तावेजों के परीक्षण तक सीमित कर सकता है।
- 24.4. हम अनुशंसा करते हैं कि संहिता की धारा 219 में प्रतिबंध के बावजूद, 12 महीने की अवधि के भीतर किए गए अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कई अपराधों के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक विचारण के प्रावधान के लिए अधिनियम में उपर्युक्त संशोधन किए जाएं।
- 24.5. उच्च न्यायालयों से अनुरोध है कि वे विचारण न्यायालयों को व्यवहार दिशा-निर्देश जारी करें कि एक ही लेन-देन का हिस्सा बनने वाली धारा 138 के अंतर्गत एक परिवाद में समन की तामील को, उक्त लेन-देन के हिस्से के रूप में जारी किए गए चेक के अनादरण से संबंधित उसी न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए सभी परिवादों के संबंध में मानित तामील माना जाए।
- 24.6. 'अदालत प्रसाद' (उपरोक्त) और 'सुब्रमण्यम सेतुरामन' (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों ने विधि की सही व्याख्या की है और हम दोहराते हैं कि समन जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा करने या उसे वापस लेने की विचारण न्यायालयों की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। यह संहिता की धारा 322 के अंतर्गत विचारण न्यायालय की आदेशिका जारी अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है यदि न्यायालय के ध्यान में यह लाया जाता है कि उसे परिवाद का विचारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

- 24.7. संहिता की धारा 258 अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवादों पर लागू नहीं होती है और 'मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स' (उपरोक्त) में इसके विपरीत निष्कर्ष सही विधि प्रतिपादित नहीं करते हैं। इस पहलू से निर्णायक रूप से निपटने के लिए, विचारण न्यायालयों को धारा 138 के अंतर्गत परिवादों के संबंध में समन पर पुनर्विचार करने/वापस लेने का अधिकार देने वाले अधिनियम में संशोधन पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.03.2021 द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

- 24.8. अन्य सभी बिंदु, जो न्याय मित्रों द्वारा अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और लिखित प्रस्तुतियों में उठाए गए हैं और जिन पर यहाँ विचार नहीं किया गया है, वे पूर्वोक्त समिति के विचार-विमर्श का विषय होंगे। अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवादों के शीघ्र निस्तारण से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर भी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

13. 'इन रे: एक्सपेडिटियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एन.आई. एक्ट' (उपरोक्त) में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी जिला न्यायाधीशों को संबोधित एक परिपत्र पत्र जारी किया गया था जिसका पत्रांक 10383/2022/Admin G-II/ Allahabad/ दिनांक: 23.08.2022 था, जिसका विषय 'एन.आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत मामलों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु' था।

14. 'संजबीज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर और अन्य' (दाण्डिक अपील संख्या 1755 सन् 2010) निर्णीत दिनांक 25.09.2025 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवादों के भारी बैकलॉग और लंबी पेंडेंसी को ध्यान में रखा, और निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए:-

- "चेक बाउंस होने के मामलों के भारी बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं

. इस मामले को छोड़ने से पूर्व, यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेता है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2014) 5 एससीसी 590, दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालल एच., (2010) 5 एससीसी 663 और इन रे: एक्सपेडिटियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एन.आई. एक्ट 1881, (2021) 16 एससीसी 116 सहित विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद, भारत के प्रमुख महानगरीय शहरों में जिला न्यायालयों में एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत चेक बाउंस मामलों की पेंडेंसी चोंकाने वाले रूप से अधिक बनी हुई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली जिला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालयों में 01 सितंबर 2025 तक धारा 138 के मामलों की पेंडेंसी 6,50,283 (छह लाख पचास हजार दो सौ तेरासी), मुंबई जिला न्यायालयों में 1,17,190 (एक लाख सत्रह हजार एक सौ नब्बे) और कलकत्ता जिला न्यायालयों में 2,65,985 (दो लाख पैंसठ हजार नौ सौ पचासी) है [स्रोत: नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड]। यह पेंडेंसी न्यायिक प्रणाली पर एक अभूतपूर्व दबाव डाल रही है क्योंकि कुछ राज्यों में, एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत मामले विचारण न्यायालय में पेंडेंसी का लगभग पचास प्रतिशत (50%) बनते हैं (दिल्ली में धारा 138 एनआई अधिनियम के मामले विचारण न्यायालय की कुल पेंडेंसी का 49.45% हैं)।

. पी. मोहनराज और अन्य बनाम शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, (2021) 6 एससीसी 258 में, इस न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति के संबंध में विधि की स्थिति को दोहराते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"53. ईश्वरलाल भगवानदास [एस.ए.एल. नारायण रो बनाम ईश्वरलाल भगवानदास, (1966) 1 एससीआर 190: एआईआर 1965 एससी 1818] में निर्णय के अवलोकन से यह पता चलेगा कि एक सिविल कार्यवाही आवश्यक रूप से वह कार्यवाही नहीं है जो एक वाद दायर करने से शुरू होती है और एक डिक्री के निष्पादन में परिणत होती है। इसमें एक राजस्व कार्यवाही के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर एक रिट याचिका भी शामिल होगी, यदि उसमें अनुतोष सिविल प्रकृति के अधिकारों को लागू करने के लिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि आपराधिक कार्यवाहियों को ऐसी कार्यवाही कहा गया है जिनमें राज्य का व्यापक हित संबंधित होता है। इन परीक्षणों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 138 की कार्यवाही को "आपराधिक भेड़िये" के भेष में एक "सिविल भेड़" कहा जा सकता है, क्योंकि यह पीड़ित का हित है जिसे संरक्षित करने की मांग की जाती है, चेक बाउंस मामलों में पीड़ित द्वारा अकेले न्यायालय जाने में राज्य का व्यापक हित समाहित होता है, जैसा कि परक्राम्य लिखित अधिनियम के अध्याय XVII के हमारे द्वारा ऊपर किए गए विश्लेषण में देखा गया है।

(जोर दिया गया)

. यह स्वीकार्य है कि, एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध प्रकृति में अर्ध-आपराधिक है और शमनीय है [देखें: दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त)]। हाल ही में, ज्ञान चंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह और अन्य (दाण्डिक अपील संख्या 3789 सन् 2025 दिनांक 11 अगस्त 2025) में, इस न्यायालय की एक समकक्ष न्यायपीठ को अपास्त कर दिया है कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही अनिवार्य रूप से एक सिविल कार्यवाही है और पक्षकारों के लिए एक स्वैच्छिक समझौता करना खुला है। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का यह विचार है कि न केवल एक स्वैच्छिक समझौता एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाहियों को समाप्त कर सकता है, बल्कि उक्त अपराध के अंतर्गत अभियुक्त अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत लाभ के भी हकदार हैं [देखें: चेल्लम्मल और अन्य बनाम राज्य,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 870]। केरल उच्च न्यायालय द्वारा एम.वी. नलिनाक्षन बनाम एम. रमेशान और अन्य 2009 ऑल एमआर (क्राई) जर्नल 273 में इसके विपरीत की गई टिप्पणियों को अपास्त किया जाता है।

. चेक बाउंस मामलों के भारी बैकलॉग और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दायर एक परिवाद में अभियुक्त पर समन की तामील परिवादों के निस्तारण में देरी के मुख्य कारणों में से एक बनी हुई है, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत दंड प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है बल्कि पैसे का भुगतान सुनिश्चित करने और नकद भुगतान के विश्वसनीय विकल्प के रूप में चेक की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने का एक साधन है, यह न्यायालय निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करता है:-

A. एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दायर सभी मामलों में, समन की तामील निर्धारित सामान्य तरीकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दस्ती भी जारी की जाएगी अर्थात् समन की तामील परिवादी द्वारा अभियुक्त पर इसके अतिरिक्त की जाएगी। यह निर्देश इसलिए आवश्यक है क्योंकि महानगरों में वित्तीय संस्थानों द्वारा एनआई अधिनियम की धारा 142(2) के आधार पर एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत बड़ी संख्या में ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध मामले दायर किए जाते हैं, जो जरूरी नहीं कि उस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर निवास करते हों जहाँ परिवाद दायर किया गया है। विचारण न्यायालय लागू अधिसूचनाओं/नियमों के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन की तामील का और सहारा लेंगे, यदि कोई हो, जो धारा 64 की उप-धारा 1 और 2 के अंतर्गत और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बी.एन.एस.एस., 2023') की धारा 530 के खंड (i) और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए हों जैसे दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की तामील) नियम, 2025। इस उद्देश्य के लिए, परिवादी परिवाद दाखिल करते समय अभियुक्त का ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और/या व्हाट्सएप नंबर/मैसेजिंग एप्लिकेशन विवरण सहित अपेक्षित विवरण प्रदान करेगा, जो विधिवत एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा जो यह सत्यापित करेगा कि उक्त विवरण अभियुक्त/प्रत्यर्थी से संबंधित हैं।

B. परिवादी न्यायालय के समक्ष तामील का शपथ पत्र दाखिल करेगा। यदि ऐसा शपथ पत्र झूठा पाया जाता है, तो न्यायालय विधि के अनुसार परिवादी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

C. एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रत्येक जिला न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरक्षित क्यूआर कोड या यूपीआई लिंक के माध्यम से समर्पित ऑनलाइन भुगतान सुविधाएं बनाएंगे और संचालित करेंगे। समन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त के पास उक्त ऑनलाइन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिंक के माध्यम से सीधे प्रारंभिक चरण में ही चेक राशि का भुगतान करने का विकल्प है। परिवादी को भी इस तरह के भुगतान की सूचना दी जाएगी और प्राप्ति की पुष्टि होने पर, ऐसे पैसे को जारी करने और एन.आई. अधिनियम की धारा 147 और/या सीआरपीसी की धारा 255/बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 278 के अंतर्गत शमन /कार्यवाहियों को बंद करने के संबंध में उचित आदेश न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार पारित किए जा सकते हैं। यह उपाय प्रारंभिक स्तर पर निपटान को बढ़ावा देगा और/या मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

D. एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रत्येक परिवाद में निम्नलिखित प्रारूप में एक सारांश होगा जिसे इंडेक्स के तुरंत बाद (फाइल के शीर्ष पर) अर्थात् औपचारिक परिवाद से पूर्व दाखिल किया जाएगा:

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद

I. पक्षकारों का विवरण

(i) परिवादी:

(ii) अभियुक्त:

(यदि अभियुक्त कोई कंपनी या फर्म है तो पंजीकृत पता, प्रबंध निदेशक/भागीदार का नाम, हस्ताक्षरकर्ता का नाम, प्रतिनिधिक रूप से दायी व्यक्तियों के नाम)

II. चेक का विवरण

(i) चेक सं.

(ii) दिनांक:

(iii) राशि:

(iv) किस बैंक/शाखा पर आहरित:

(v) खाता सं.:

III. अनादरण

(i) प्रस्तुत करने की तिथि:

(ii) वापसी/अनादरण मेमो की तिथि:

(iii) शाखा जहाँ चेक अनादरित हुआ:

(iv) अनादरण का कारण:

IV. वैधानिक नोटिस

(i) नोटिस की तिथि:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) तामील का तरीका:

(iii) प्रेषण की तिथि और ट्रेकिंग नंबर:

(iv) डिलीवरी का प्रमाण और डिलीवरी की तिथि:

(v) क्या तामील हुई:

(vii) विधिक मांग नोटिस का उत्तर, यदि कोई हो

V. वाद कारण

(i) उत्पन्न होने की तिथि:

(ii) धारा 142(2) के अंतर्गत आहत क्षेत्राधिकार:

(iii) क्या उन्हीं पक्षकारों के बीच धारा 138 एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य परिवाद लंबित है, यदि हाँ, तो किस न्यायालय में और संस्थित करने की तिथि और वर्ष।

VI. चाहा गया अनुतोष

(i) अभियुक्त को समन करना और धारा 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत विचारण

(ii) क्या एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर अधिनिर्णीत (Award) करने की मांग की गई है

VII. किसके माध्यम से दाखिल:

परिवादी/प्राधिकृत प्रतिनिधि

E. हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'अशोक बनाम फैयाज अहमद' 2025 एससीसी ऑनलाइन कर 490 में यह विचार व्यक्त किया है कि चूंकि एनआई अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, इसलिए एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दाखिल परिवादों का संज्ञान लेने (बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के अंतर्गत) से पूर्व मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को समन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार से सहमत है। तदनुसार, यह न्यायालय निर्देश देता है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के अर्थ में अर्थात् संज्ञान-पूर्व स्तर पर अभियुक्त को समन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

F. चूंकि एनआई अधिनियम की धारा 143 का उद्देश्य संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके धारा 138 के अंतर्गत परिवादों का त्वरित निस्तारण करना है, इसलिए यह न्यायालय 'इन रे: एक्सपेडिटियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट' (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्देश को दोहराता है कि विचारण न्यायालय एक संक्षिप्त विचारण को समन विचारण में परिवर्तित करने से पूर्व ठोस (cogent) और पर्याप्त कारण अभिलिखित करेंगे। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह न्यायालय स्पष्ट अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करता है कि 'राजेश अग्रवाल बनाम राज्य और अन्य', 2010 एससीसी ऑनलाइन डेल 2511 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251/बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 274 के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछने के लिए (प्रारंभिक संज्ञान के बाद के स्तर पर) स्वतंत्र होगा, जिसे वह उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न शामिल हैं:

- (i) क्या आप स्वीकार करते हैं कि चेक आपके खाते का है? हाँ/नहीं
- (ii) क्या आप स्वीकार करते हैं कि चेक पर हस्ताक्षर आपके हैं? हाँ/नहीं
- (iii) क्या आपने यह चेक परिवादी को जारी/सुपुर्द किया था? हाँ/नहीं
- (iv) क्या आप स्वीकार करते हैं कि जारी करते समय आप परिवादी के प्रति दायी थे? हाँ/नहीं
- (v) यदि आप दायित्व से इंकार करते हैं, तो स्पष्ट रूप से अपना बचाव बताएं:
 - (a) केवल प्रतिभूति चेक;
 - (b) ऋण पहले ही चुका दिया गया;
 - (c) चेक में फेरबदल/दुरुपयोग किया गया;
 - (d) अन्य (निर्दिष्ट करें)।
- (vi) क्या आप इस स्तर पर मामले का शमन करना चाहते हैं? हाँ/नहीं

G. न्यायालय अभियुक्त और उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में आदेश-पत्र में प्रश्नों के उत्तर अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात यह निर्धारित करेगा कि मामला सीआरपीसी के अध्याय XXI/बी.एन.एस.एस., 2023 के अध्याय XXII के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के योग्य है या नहीं।

H. जहाँ कहीं भी, विचारण न्यायालय उचित समझे, वह एनआई अधिनियम की धारा 143ए के अंतर्गत यथाशीघ्र अंतरिम जमा के भुगतान का आदेश देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेगा।

I. चूंकि भौतिक न्यायालय कक्ष प्रत्यक्ष और अनौपचारिक बातचीत के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं जो शीघ्र समाधान को प्रोत्साहित करता है, इसलिए उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि समन की तामील के पश्चात, मामलों को भौतिक न्यायालयों के समक्ष रखा जाए। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट केवल तभी दी जानी चाहिए जब तथ्य ऐसी मांग करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि समन की तामील से पूर्व मामलों को डिजिटल न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।

J. जहाँ कहीं भी एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत मामलों को सांध्य न्यायालयों द्वारा सुनने और निस्तारित करने की अनुमति है, उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चेक राशि की आर्थिक सीमा यथार्थवादी हो। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, चेक राशि के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामलों को सुनने और तय करने के लिए सांध्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 25,000/- रुपये से अधिक नहीं है। इस न्यायालय की राय में, उक्त सीमा बहुत कम है। उच्च न्यायालयों को तत्काल व्यवहार दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए और सांध्य न्यायालयों के लिए यथार्थवादी आर्थिक मानदंड स्थापित करने चाहिए।

K. दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में प्रत्येक जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत मामलों की पेंडेंसी और प्रगति को दर्शाने वाला एक समर्पित डैशबोर्ड बनाए रखेंगे। डैशबोर्ड में अन्य बातों के साथ-साथ कुल पेंडेंसी, मासिक निस्तारण दर, तय किए गए/शमन किए गए मामलों का प्रतिशत, प्रति मामले स्थगन की औसत संख्या और लंबित मामलों का चरण-वार विवरण शामिल होगा। पूर्वोक्त क्षेत्राधिकारों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनआई अधिनियम के मामलों को संभालने वाले मजिस्ट्रेटों के कामकाज की मासिक समीक्षा करेंगे। एक समेकित त्रैमासिक रिपोर्ट उच्च न्यायालय को अग्रेषित की जाएगी।

L. दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध है कि वे पेंडेंसी की निगरानी करने और एनआई अधिनियम की धारा 138 के मामलों के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक पक्ष पर एक समिति बनाएं। इन समितियों को महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए और एनआई अधिनियम की धारा 138 के मामलों से निपटने के लिए अनुभवी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के विकल्प के साथ-साथ धारा 138 एनआई अधिनियम के मामलों में मध्यस्थता, लोक अदालतों के आयोजन और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा देने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

37. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व 'दामोदर एस. प्रभु' (उपरोक्त) में एनआई अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के शमन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए थे। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

दिशा-निर्देश

(i) इन परिस्थितियों में, निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है:

(a) यह निर्देश दिया जा सकता है कि समन के आदेश को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए जिससे अभियुक्त को यह स्पष्ट हो जाए कि वह मामले की पहली या दूसरी सुनवाई में अपराधों के शमन के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसा आवेदन किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर कोई खर्च लगाए बिना शमन की अनुमति दी जा सकती है।

(b) यदि अभियुक्त पूर्वोक्त रूप से शमन के लिए आवेदन नहीं करता है, तो यदि बाद के चरण में मजिस्ट्रेट के समक्ष शमन के लिए आवेदन किया जाता है, तो शमन की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि अभियुक्त को विधिक सेवा प्राधिकरण, या ऐसे प्राधिकरण जिसे न्यायालय उचित समझे, के पास शमन की शर्त के रूप में चेक राशि का 10% जमा करना होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(c) इसी प्रकार, यदि पुनरीक्षण या अपील में सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष शमन के लिए आवेदन किया जाता है, तो ऐसे शमन की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि अभियुक्त खर्च के रूप में चेक राशि का 15% भुगतान करे।

(d) अंत में, यदि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शमन के लिए आवेदन किया जाता है, तो यह आंकड़ा चेक राशि के 20% तक बढ़ जाएगा।

XXXXXXXXXX

. हम इस विचार के प्रति भी सचेत हैं कि ऊपर उद्धृत दिशा-निर्देशों के न्यायिक समर्थन को न्यायिक विधि-निर्माण के कार्य के रूप में और इसलिए विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 147 में अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के शमन के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इस पर कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत परिकल्पित योजना का सख्त अर्थों में पालन नहीं किया जा सकता है। विधायी शून्यता को देखते हुए, हम कुछ सुझावों के समर्थन में कोई बाधा नहीं देखते हैं जो वादकारियों को अधिनियम की धारा 138 से जुड़े मामलों में अपराध के शमन में अनावश्यक रूप से देरी करने से हतोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए हैं।

. खर्च लगाने की क्रमिक योजना मुकदमेबाजी के प्रारंभिक चरण में शमन को प्रोत्साहित करने का एक साधन है। यथास्थिति में, न्यायालय का बहुमूल्य समय इन मामलों के विचारण पर व्यतीत होता है और पक्षकार किसी न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं क्योंकि कार्यवाहियां दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित होती हैं, भले ही अपराध का प्रभाव काफी हद तक निजी पक्षकारों तक सीमित हो। भले ही सक्षम न्यायालय द्वारा खर्च लगाना विवेक का विषय है, लेकिन एकरूपता के हित में खर्च के पैमाने का सुझाव दिया गया है। सक्षम न्यायालय निश्चित रूप से किसी मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में खर्च को कम कर सकता है, जबकि ऐसे अंतर के लिए कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित कर सकता है। वास्तविक वादकारियों को निश्चित रूप से अपने तार्किक अंत तक कार्यवाहियों की पैरवी करनी चाहिए।

. अतीत में भी, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्ति का उपयोग उस विषय-वस्तु के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए किया है जहां विधायी शून्यता थी।"

. चूंकि बड़ी संख्या में चेक बाउंस मामले अभी भी लंबित हैं और पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में गिरावट आई है, इस न्यायालय का यह विचार है कि यह 'दिशा-निर्देशों पर फिर से विचार करने और उनमें बदलाव करने (revisit and tweak)' का समय है। तदनुसार, शमन के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(a) यदि अभियुक्त अपना साक्ष्य (अर्थात् बचाव साक्ष्य) दर्ज होने से पूर्व चेक राशि का भुगतान कर देता है, तो विचारण न्यायालय अभियुक्त पर कोई खर्च या जुर्माना लगाए बिना अपराध के शमन की अनुमति दे सकता है।

(b) यदि अभियुक्त अपना साक्ष्य दर्ज होने के पश्चात लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने से पूर्व चेक राशि का भुगतान करता है, तो मजिस्ट्रेट विधिक सेवा प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्राधिकरण जिसे न्यायालय उचित समझे, को चेक राशि के 5% अतिरिक्त भुगतान पर अपराध के शमन की अनुमति दे सकता है।

(c) इसी प्रकार, यदि पुनरीक्षण या अपील में सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष चेक राशि का भुगतान किया जाता है, तो ऐसा न्यायालय इस शर्त पर अपराध का शमन कर सकता है कि अभियुक्त खर्च के रूप में चेक राशि का 7.5% भुगतान करे।

(d) अंत में, यदि इस न्यायालय के समक्ष चेक राशि प्रस्तुत की जाती है, तो यह आंकड़ा चेक राशि के 10% तक बढ़ जाएगा।

इस न्यायालय का विचार है कि यदि अभियुक्त उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान करने का इच्छुक है, तो न्यायालय पक्षकारों को शमन के लिए जाने का सुझाव दे सकता है। यदि किसी कारण से, वित्तीय संस्थान/परिवादी चेक राशि के अलावा किसी अन्य भुगतान या संपूर्ण ऋण के निपटान या अन्य बकाया राशि की मांग करता है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी होने का अभिवचन करने और सीआरपीसी की धारा 255(2) और/या 255(3) या बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 278 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने और/या अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत लाभ देने का सुझाव दे सकता है।"

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी इन उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए, एक परिपत्र पत्र संख्या 14295 2025/Admin G-II/ Allahabad, दिनांक 04.11.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों, पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों और एमएसीटी, एलएआरआरएस और वाणिज्यिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रसारित किया गया है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इसे अपने सुयोग्य पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच सूचनार्थ और आवश्यक अनुपालन के लिए प्रसारित करें और निर्णय की प्रति निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को भी सूचनार्थ भेजी गई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. 'संजबीज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर और अन्य' (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एन.आई. अधिनियम के मामलों को संभालने वाले न्यायालयों/मजिस्ट्रेटों द्वारा इसके अक्षरशः और भावना में कड़ाई से पालन किया जाना है।

17. मामले के गुण-दोष पर वापस आते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने और पत्रावली के अवलोकन के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि इस स्तर पर विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिलेख के अनुसार, एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दिनांक 01.02.2013 को दायर किया गया है जो आवेदन के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, और अनुलग्नक संख्या 4 के अनुसार, यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त आवेदक का बयान दिनांक 30.07.2021 को दर्ज किया गया है और अंतिम प्रश्नावली पर, अभियुक्त आवेदक से निम्नानुसार पूछा गया है:-

"प्रश्न-8-क्या आपको कुछ कहना है?"

उत्तर- सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना है।"

18. प्रश्न करने पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर दिया है कि दिनांक 30.07.2021 के पश्चात इस याचिका को दाखिल करने तक बचाव में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया जा सका।

19. आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि पहला प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2022 को दिया गया था, उसके बाद दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2023 को दिया गया और उस प्रार्थना पत्र पर, दिनांक 18.04.2023 को विशेषज्ञ ने अभियुक्त के हस्ताक्षर का नमूना प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद, अभियुक्त-आवेदक ने पैरवी नहीं की और अंततः कई अनुस्मारक देने के पश्चात, अभियुक्त-आवेदक का अवसर समाप्त कर दिया गया। यह भी प्रतीत होता है कि मुख्य-परीक्षा और जिरह संपन्न हो चुकी थी, और अभियुक्त-आवेदक का सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत बयान भी दर्ज किया गया था। बहुत बाद में, साक्ष्य प्रस्तुत करने के एक और अवसर के लिए आवेदन दिनांक 08.09.2025 को दाखिल किया गया था, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 16.10.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया।

20. आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के अनुलग्नकों के रूप में संलग्न अभिलेखों के अवलोकन पर, वर्तमान मामले में, एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दिनांक 01.02.2013 को दायर किया गया था, और अब 2026 चल रहा है। लगभग 13 वर्ष बीत चुके हैं। न्याय की पवित्र खोज में, सूत्र-वाक्य "In diem vivere in lege sunt detestabilis" (विधिक मामलों में दिन-प्रतिदिन के स्थगन घृणित हैं) लंबी मुकदमेबाजी के लिए एक शाश्वत फटकार के रूप में खड़ा है और यह दर्शाता है कि कानूनी कार्यवाहियों में अनावश्यक टालमटोल या विलंब करने की रणनीति न्याय के लिए घृणित है। इस प्रकार की देरी न केवल जनता के विश्वास को कम करती है बल्कि कानून को राहत के बजाय संकट का साधन भी बना देती है। इस संदर्भ में, विलियम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शेक्सपियर के शब्द सत्य प्रतीत होते हैं: "Defer no time; delays have dangerous ends" (समय को मत टालें; देरी के खतरनाक परिणाम होते हैं)। ऐसी लंबी कानूनी कार्यवाहियां इस सूत्र-वाक्य को ज्वलंत रूप से दर्शाती हैं कि 'न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है (Justice Delayed is Justice Denied)'। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की देरी भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित विचारण के अधिकार के सार के भी विपरीत है।

21. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाता है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा बचाव के पर्याप्त से अधिक अवसर प्रदान किए गए थे। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 16.10.2025 को निरस्त करने के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि ऐसे मामले जो पक्षकारों की ओर से अनावश्यक देरी से प्रभावित हैं, उनमें शीघ्रता लायी जानी चाहिए, और जब तक कार्यवाही पर रोक लगाने वाले उच्चतर न्यायालयों के आदेश न हों, उन्हें वैधानिक अवधि के भीतर निस्तारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस निर्णय को संबंधित विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। कार्यालय आवश्यक कार्यवाही करे।

22. उपर्युक्त संप्रेक्षण और निर्देशों के साथ, आवेदन अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)

फरवरी 20, 2026

शैलेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।